पत्रांक :339937 / E-75273 / XXVII(1)/2025

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2025

विषयः नागरिकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकरणों पर **BUDS Act, 2019** के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन को विभिन्न माध्यमों से LUCC (The Loni Uraban Multi State Credit & Thrift Co-opertative Society) द्वारा नागरिकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनके अन्तर्गत शिकायतकर्ताओं द्वारा उक्त के विरूद्ध जांच करते हुए त्वरित कार्यवाही करने एवं उनको हुई हानि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि ऐसे वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकरणों के संबंध में वैधानिक कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार द्वारा **"अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019"** (BUDS Act, 2019) प्रख्यापित किया गया है। उक्त के क्रम में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 139599 / 2023 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा BUDS Act, 2019 की धारा–7(2) के प्रावधानानुसार अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिला स्तर पर **सम्बन्धित जिलाधिकारियों को "सक्षम अधिकारी" (नोडल अधिकारी) नामित** करते हुए, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों के समयबद्ध रूप से निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

3– यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकरणों के संबंध में वैधानिक कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005" लागू किया गया था जिसे भारत सरकार द्वारा व्यापक प्रावधानों युक्त BUDS Act, 2019 के लागू किए जाने के दृष्टिगत "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में)(निरसन) अधिनियम, 2025" के माध्यम से **निरसित (Repeal)** किया जा चुका है। उक्त निरसन अधिनियम, 2025 की प्रति पूर्व में भी समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित की गई है जिसे सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

4– तदक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नागरिकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के

File No. FIN1-8/8/2024-XXVII-1-Finance Department (Computer No. 75273)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATHRI, PO Finance Section-1 KGB, PO FINANCE, Finance Department on 27/10/2025 11:53:07

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरणों के प्रकाश में आने पर BUDS Act, 2019 के प्रावधानानुसार **वैधानिक कार्यवाही** करने एवं नागरिकों में जागरूकता पैदा किये जाने हेतु **जागरूकता अभियान** चलाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by Dilip Jawalkar
Date: 16-10-2025 15:03:15

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तुदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या–26 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025 ई0

चैत्र 21, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 152/XXXVI (3)/2025/06(01)/2025

देहरादून, 11 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025' पर दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 07, वर्ष– 2025 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) अधिनियम, 2025

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2025)

उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्याः 9, वर्ष 2005) का निरसन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम	1.	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) अधिनियम, 2025 है।
निरसन	2.	उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्याः 9, वर्ष, 2005) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
व्यावृत्तियां	3.	इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्याः 9, वर्ष 2005) के निरसन से,– (क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होंगी, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो; (ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नही होंगे; (ग) कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रकिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति, इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः

Scanned with OKEN Scanner

		किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा, या उन्हे व्युत्पन्न कर लिया गया होगा; (घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रकिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुन: प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे; (ङ) लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जांच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई प्रभावित नहीं होंगी और ऐसी लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्रवाई की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उपरोक्त अधिनियमिति, इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हो।

आज्ञा से,
धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय अधिष्ठानों में धनराशि अथवा बहुमूल्य वस्तुओं के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005" अधिनियमित/लागू किया गया है। उक्त अधिनियम मे वित्तीय अधिष्ठानों अथवा निक्षेप लेने वाले से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जिसमें फर्म अथवा कम्पनी सम्मिलित है जो किसी योजना या व्यवस्था के अधीन या किसी अन्य रीति से निक्षेप स्वीकार करते हैं किन्तु इसमें बैंकिंग विनियमितीकरण अधिनियम, 1949 (वर्ष 1949 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में परिभाषित कोई निगम या किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कोई सहकारी समिति या बैंकिंग कम्पनी सम्मिलित नही है।

2– वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कारोबार के सामान्य अनुक्रम में लिये गए निक्षेपों से भिन्न अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिये एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्ताओ के हितों की संरक्षा के लिये तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम 2019 अधिनियमित/लागू किया गया है। उक्त अधिनियम में वित्तीय अधिष्ठानो अथवा निक्षेप लेने वाले से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, कोई स्वत्वधारी समुत्थान, कोई भागीदारी फर्म (चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं), सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई संगम, कोई न्यास (जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के उपबन्धों के अधीन शासित कोई निजी न्यास है या कोई सार्वजनिक न्यास है, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) कोई सहकारी सोसाइटी या कोई बहुराज्यिक सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य ठहराव, किसी भी प्रकृति का हो, से है जिसमें संसद या किसी राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम के अधीन निगमित कोई निगम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी, कोई तत्स्थानी नया बैंक, भारतीय रटेट बैंक, कोई समनुषंगी बैंक, कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या कोई बहुराज्यिक सहकारी बैंक सम्मिलित नही है।

3– चूंकि भारत रारकार द्वारा अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबन्दी तथा उनके जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये व्यापक प्रभावयुक्त अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम 2019 अधिनियमित/लागू किया जा चुका है जो कि राष्ट्रव्यापी विस्तारयुक्त होने के कारण उत्तराखण्ड के अन्तर्गत भी प्रभावी है और यह भी कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों मे) अधिनियम, 2005 के प्रावधान/व्यवस्थायें उक्त केन्द्रीय अधिनियम मे समाहित हैं।

4– अतएव उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों मे) अधिनियम, 2005 को निरसित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड निक्षेपक (जगाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025 को लाया जाना प्रस्तावित है।

5– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री

Scanned with OKEN Scanner